

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 568/2022

निर्णय दिनांक :- 15/06/2023

## उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. दिनेश कुमार पुत्र कैलाशचंद जाति तेली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)
2. दौलत कुमार पुत्र कैलाशचंद जाति तेली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)
3. रवि कुमार पुत्र कैलाशचंद जाति तेली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान (राज.)

—प्रार्थीगण—

बनाम

तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थी—

## उपस्थिति:-

श्री महावीर सिंह राठोड़

श्री जितेन्द्र शर्मा


अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 1849 खसरा नम्बर 1797 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1798 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1799 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 1800 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 298 रकबा 1.38 है0, खसरा नम्बर 339 रकबा 2.41 है0, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.84 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 6.84 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोकें पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है।



प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्री  
तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।


तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:- उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है और कब्जेकाशत है। हां आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद है। आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमिता राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में अंकित खाता संख्या 1849 खसरा नम्बर 1797 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 1798 रकबा 0.41 है, खसरा नम्बर 1799 रकबा 0.67 है, खसरा नम्बर 1800 रकबा 0.40 है, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.70 है, खसरा नम्बर 298 रकबा 1.38 है, खसरा नम्बर 339 रकबा 2.41 है, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.84 है, कुल कित्ता 8 कुल रकबा 6.84 है वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक पर प्रार्थीगण का कब्जाकाशत होने पर विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त आराजी भूमि की सीमाओं से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली